[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 4 में प्रकाशनार्थ]

## रक्षा मंत्रालय

## (रक्षा विभाग)

## अधिसूचना

**नई दिल्ली, 20 मार्च , 2019**

का.नि.आ.........(अ).- केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधीनियम 1957 (1954 के 62) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौसेना वेतन विनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना वेतन (संशोधन) विनियम, 2019 है ।

   (2) ये विनियम 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. नौसेना वेतन विनियम, 2017, के विनियम 5 के, उप विनियम (3) के, खंड (V) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात -

   "(V) मंहगाई भत्तो और पेंशन की संगणना के प्रयोजन के लिए समूह 'X' वेतन को वेतन के रूप में संगणित किया जाएगा"।

[सं. 1(9)/2016-रक्षा (वेतन/सेवाएं) पार्ट-II]

म. सुब्बारायन

(एम. सुब्बारायन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**स्पष्टीकारक ज्ञापन** - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया है । इस प्रकार भारत संघ के रक्षा कार्मिक 1 जनवरी, 2016 से सातवें केन्द्रीय वेतन संशोधन के लिए पात्र हैं । तदनुसार उक्त विनियमों को 1 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

**टिप्पण:-** नौसेना वेतन विनियम, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 4 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 11(अ) तारीख 3 मई, 2017 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।